

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 31st May, 2006

No. CCP(NCR)/EW/(KMP)FBD/18/CA/B/2006/1271. — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Government of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometers around Dera Baba Siya Ram Dass, Village Allika, Tehsil Palwal, District Faridabad as specified in the Schedule of boundaries given bellow and shown in the plan appended hereto, to be controlled area for the purpose of the said Act, namely: -

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Dera Baba Siya Ram Dass, Village Allika (H. B. No. 36), Tehsil Palwal, District Faridabad to be read with drawing no. DTP (F) 2466/06 dated 27th January, 2006.

- North:** Starting from point 'A' i.e. the North-West corner of rect. no. 48 of village Dhatir (H. B. No. 37) towards east along northern boundary of rect. no. 148 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto north-east corner of same rectangle. Thence towards south along eastern boundary of rect. no. 148 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto south-east corner of same rect. Thence towards east along northern boundary of rect. no. 153 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto point 'B' to north-east corner of rect. no. 153 of village Dhatir (H. B. No. 37).
- East:** Thence from point 'B' towards south along Eastern boundary of rect. no. 153 and 174 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto south-east corner of rect. no. 174 of village Dhatir (H. B. No. 37). Thence towards east along northern boundary of rect. no. 178 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto its north-east corner. Thence towards south along eastern boundary of rect. 178 and 196 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto south-east corner of rect. no. 196 of village Dhatir (H. B. No. 37). Thence towards west along southern boundary rect. no. 196 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto its south-west corner. Thence towards south along eastern boundary of rect. no. 199 of village Dhatir (H. B. No. 37) and rect. no. 6 and 9 of village Papri (H. B. No. 22) upto point 'C' i.e. south-east corner of rect. no. 9 of village Papri (H. B. No. 22).
- South:** Thence from point 'C' towards west along Southern boundary of rect. no. 9 and 10 of village Papri (H. B. No. 22) upto point 'D' i.e. south-west corner of rect. no. 10 of village Papri (H. B. No. 22).
- West:** Thence from point 'D' towards north along western boundary of rect. no. 10 and 5 of village Papri (H. B. No. 22), rect. no. 10, 9 and 2 of village Malikpur (H. B. No. 21), rect. n. 58, 52 and 51 of village Attarchatta (H. B. No. 17) and rect. no. 152 and 158 of village Dhatir (H. B. No. 37) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Town & Country Planning Department.

हरियाण सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 31 मई, 2006

संख्या सी०पी०सी० (एन०सी०आर०)/ इ०डब्ल्यू०(के०एम०पी०)/एफ०बी०डी०/18/सी०ए०/बी०/2006/1271—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमति विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धरा 4 का उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए गांव अल्लिका, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद के डेरा बाबा सीया राम दास के इर्द गिर्द दो किलोमीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात:

अनुसूचि

गांव अल्लिका (ह० ब० सं० 36) तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद के डेरा बाबा सीया राम दास के इर्द गिर्द दो किलोमीटर की दूरी तक के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एफ) 2466/2005 दिनांक 27 जनवरी 2006 के साथ पढा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से शुरू करते हुए, जोकि गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 148 का उत्तरी-पश्चिमी कोना है, पूर्व की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 148 की उत्तरी सीमा के साथ—2 इसी आयत के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक। फिर दक्षिण की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की पश्चिमी सीमा के साथ—2 इसी आयत के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक, फिर पूर्व की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 153 की उत्तरी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 153 का उत्तरी-पूर्वी कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 153 तथा 174 की पूर्वी सीमा के साथ—2 गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 174 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। फिर पूर्व की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 178 की उत्तरी सीमा के साथ—2 इसी आयत के उत्तरी-पूर्वी कोने तक। फिर दक्षिण की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 178 और 196 की पूर्वी सीमा के साथ—2 गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 196 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। फिर पश्चिम की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 196 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 इसी आयत के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक, फिर दक्षिण की ओर गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 199 और गांव पापडी (ह० ब० सं० 22) की आयत संख्या 6 तथा 9 की पूर्वी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'सी' तक जोकि गांव पापडी (ह० ब० सं० 22) का दक्षिणी-पूर्वी कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से उत्तर की ओर गांव पापडी (ह० ब० सं० 22) की आयत संख्या 9 तथा 10 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव पापडी (ह० ब० सं० 22) की आयत संख्या 10 का दक्षिणी-पूर्वी कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव पापडी (ह० ब० सं० 22) की आयत संख्या 10 और 5 गांव मलिकपुर (ह० ब० सं० 21) की आयत संख्या 10, 9 तथा 2, गांव अतरचट्टा (ह० ब० सं० 17) की आयत संख्या 52, 58 तथा 51 और गांव धतीर (ह० ब० सं० 37) की आयत संख्या 152 तथा 148 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ए' तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखु,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।